

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

- District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB HISAR Year (वर्ष): 2022

FIR No. (प्र.सू. सं.): 0014 Date and Time of FIR (प्र.सू. की दिनांक और समय): 02/07/2022 19:07 hrs
- | S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| 1 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7 |
| 2 | PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988 | 7A |
- (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Saturday Date from (दिनांक से): 02/07/2022 Date To (दिनांक तक): 02/07/2022

Time Period (समय अवधि): Pahar 6 Time From (समय से): 16:00 hrs Time To (समय तक): 16:00 hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 02/07/2022 Time (समय): 18:47 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामाचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 010 Date and Time (दिनांक और समय): 02/07/2022 18:47 hrs
- Type of Information (सूचना का प्रकार): Written
- Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): NORTH-EAST, 65 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): भिवानी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):
- Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सत्यवान

(b) Father's Name (पिताका नाम): रुप चन्द

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1971 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	भागवी तहसील चरखी दादरी, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	भागवी तहसील चरखी दादरी, CHARKHI DADRI, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.):

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुभाष चन्द्र अरोडा			1. विधा नगर महम रोड भिवानी, BHIWANI, HARYANA, INDIA
2	चेयरमैन दिनेश अदलखां			1. हरियाणा स्टेट फार्मसी, काउंसलिंग कार्यालय, BHIWANI, HARYANA, INDIA
3	वाईस चेयरमैन सोहन लाल कंसल			1. हरियाणा स्टेट फार्मसी, काउंसलिंग कार्यालय, BHIWANI, HARYANA, INDIA
4	रजिस्ट्रार राजकुमार वर्मा			1. हरियाणा स्टेट फार्मसी, काउंसलिंग कार्यालय, BHIWANI, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा मे, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल हिसार। विषय:- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रेड करवाने बारे। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं सत्यवान पुत्र श्री रूपचन्द निवासी गांव भागवी तहसील व जिला चरखी दादरी का स्थाई निवासी हूँ। मैं गांव सातौर के पशु हस्पताल में एनिमल अटेन्डेन्ट के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे लड़के शसन कुमार ने डी-फार्मा का कोर्स किया हुआ है तथा मेरे लड़के ने डी-फार्मा के रजिस्ट्रेशन के लिये आनलाईन हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिल में डाक्यूमेन्ट जमा करवा दिये थे। इसकी फीस 4150 रुपये आनलाईन जमा करवाई थी। उसके बाद मेरे लड़के शसन कुमार ने हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिलिंग के कार्यालय में जाकर ऑफलाईन दस्तावेज भी जमा करवा दिये थे और मेरे लड़के शसन कुमार के सभी असल सर्टीफिकेटों के पीछे हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिलिंग के कर्मचारियों ने मोहर लगा दी थी और हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिलिंग के कर्मचारियों ने कहा कि करीब 45 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट दर्ज करके डाक के द्वारा घर पहुंचा दिया जायेगा। लेकिन कई माह बीतने के बाद भी वह रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट नहीं आया। इस दौरान मेरे लड़के शसन कुमार ने हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिल कार्यालय के कई चक्कर लगाये कार्यालय हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिल में मेरे लड़के शसन कुमार को किसी ने बताया कि सुभाष चन्द्र अरोड़ा निवासी विद्या नगर महम रोड भिवानी पैसे लेकर हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिल के चैयरमैन दिनेश अदलखा, वाईस चैयरमैन सोहन लाल कंसल व रजिस्ट्रार राजकुमार वर्मा के साथ मिलिभगत करके फार्मासिस्टों के रजिस्ट्रेशन करवाता है। जिस पर मेरे लड़के शसन कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर 9729266960 से सुभाष चन्द्र अरोड़ा के मोबाईल नं० 9467510673 से उसका डी-फार्मा का सर्टीफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाने बारे बातचीत की जिस पर सुभाष चन्द्र अरोड़ा ने मेरे लड़के शसन कुमार को कहा कि सर्टीफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाने के 65,000 रुपये मेरे को बतौर रिश्वत देने होंगे। इस काम के लिए 30000/- रुपये पहले देने पड़ेंगे तथा 35000/- रुपये बाद में डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट देते वक़्त देने पड़ेंगे। जिस पर मेरे लड़के ने दिनांक 09.06.2022 गुगल-पे नम्बर 7988051926 से सुभाष चन्द्र अरोड़ा के फोन नम्बर 9467510673 पर पहली बार 20,000/- रुपये तथा दूसरी बार 10,000/- रुपये डाल दिये। सुभाष चन्द्र अरोड़ा ने मेरे लड़के को कहा कि आपने जो 30,000/- रुपये जो मेरे खाते में डाले थे वह मेरे खाता में नहीं आये हैं बैंक में होल्ड पर चले गये हैं। आपने मेरे को 65,000/- रुपये पूरे देने होंगे मुझे भी रुपये उपर अधिकारियों को देने होते हैं। आप मुझे 65,000/- रुपये कैश दे दो आपको सर्टीफिकेट शनिवार को मिल जायेगा। दिनांक 09.06.2022 को जो 30000/- रुपये सुभाष चन्द्र अरोड़ा के खाता में डाले थे, वे पैसे उसके खाता में जमा हो गये हैं। आज दिनांक 02.07.2022 को सुभाष चन्द्र अरोड़ा ने मेरे लड़के को कहा कि आपका सर्टीफिकेट बनकर आ गया है आप अपने पिता जी को 35000/- रुपये देकर मेरे पास भेज दो। मैं मेरे लड़के के डी फार्मा के रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट के बकाया 35000/- रुपये बतौर रिश्वत सुभाष अरोड़ा को नहीं देना चाहता, अगर मैं ये 35000/- रुपये सुभाष अरोड़ा को नहीं दूंगा तो वह मेरे लड़के का डी फार्मा का रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट मुझे नहीं देगा। मेरे लड़के ने सुभाष चन्द्र अरोड़ा से डी फार्मा रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट के बारे में हुई बातचीत को अपने फोन में रिकार्ड कर रखा है। जो रिकार्डिंग को मैंने भी सुना है रिकार्डिंग को मैं बाद में पेश कर दूंगा। मेरे जानकार राजेश कुमार पुत्र श्री रामनिवास कौशिक गांव दुबलधन, तहसील बेरी जिला झज्जर ने भी मुझे बताया कि मैंने भी मेरे जानकार विजय कुमार पुत्र श्री जिले सिंह निवासी झज्जर व सतीश कुमार पुत्र श्री सुरजभान निवासी गांव बेरली कलां के डी-फार्मा का रजिस्ट्रेशन हरियाणा स्टेट फार्मसी काउन्सिल में करवाने के लिये अपने मोबाईल नम्बर 9812238622 से भी सुभाष अरोड़ा के मोबाईल नम्बर 9467510673 से बातचीत की जिस पर सुभाष अरोड़ा ने राजेश कुमार को बताया कि जिस विद्यार्थी ने युनिवर्सिटी से डिग्री/डिप्लोमा लिया हो उसके 1 लाख रुपये लगेंगे व जिस विद्यार्थी ने टैकनिकल बोर्ड से डिप्लोमा किया है उसके 65000 रुपये लगेंगे। सुभाष अरोड़ा ने राजेश को कहा 1 लाख 20 हजार रुपये कैश बतौर रिश्वत एडवॉन्स देने होंगे। जिस पर राजेश ने 20,000/- रुपये फोन के माध्यम से सुभाष चन्द्र अरोड़ा के एक्सिस बैंक खाता नं० 402010100047074 में डलवा दिये। चैयरमैन दिनेश अदलखां वाईस चैयरमैन सोहन लाल कंसल, रजिस्ट्रार राजकुमार वर्मा व सुभाष अरोड़ा ने आपस में मिलकर डी-फार्मा धारक लड़को से HSPC में रजिस्ट्रेशन करवाने के नाम पर मोटी रिश्वत वसूल रहे हैं तथा पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार का जाल फैलाया हुआ है। चैयरमैन दिनेश अदलखां, वाईस चैयरमैन सोहन लाल कंसल, रजिस्ट्रार राजकुमार वर्मा व सुभाष अरोड़ा के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जावे। SD Satywan Singh सत्यवान पुत्र श्री रूपचन्द निवासी गांव भागवी तहसील व जिला चरखी दादरी मोबाईल नम्बर 97283-89832 दिनांक 02.07.2022 कार्यवाही पुलिस:- आज मन उप पुलिस अधीक्षक मय उप निरीक्षक अजीत सिंह 304/एच, मुख्य सिपाही विरेन्द्र 125/हांसी, मुख्य सिपाही वरिन्द्र सिंह 485/हिसार राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार के जांच क्रमांक 01 दिनांक 11.02.2020 भिवानी के सम्बन्ध में राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी मौजूद हूँ कि शिकायतकर्ता सत्यवान पुत्र श्री रूपचन्द निवासी गांव भागवी तहसील व जिला चरखी दादरी ने उपकेन्द्र राज्य चौकसी ब्यूरो भिवानी में हाजिर आकर उपरोक्त दरखास्त मेरे सम्मुख पेश की है। जो मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त दरखास्त के हालात तस्दीक करके हालात बारे अफसरान बाला को अवगत करवाया। जो मजबुन दरखास्त से सुरत जर्म जैर धारा 7, 7A PC ACT-1988 का अपराध सरजद होना पाया जाने पर तहरीर हजा बराये करवाने अभियोग दर्ज हवाले EHC नरेन्द्र 427/हांसी राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी करके रवाना थाना राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार का किया गया। बाद करवाकर अभियोग दर्ज नम्बर अभियोग से सुचित किया जावे तथा अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट व सम्बन्धित अफसरान बाला को बजरिया ईमेल/डाक भिजवाई जाये। मन उप पुलिस अधीक्षक मय उप निरीक्षक अजीत सिंह 304/एच, मुख्य सिपाही विरेन्द्र 125/हांसी, मुख्य सिपाही वरिन्द्र सिंह 485/हिसार राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, EHC सुखविन्द्र 54/नारनौल, महिला सिपाही ज्योति 1066/जीन्द मय गाडी सरकारी HR-03Z-3357 मय चालक सिपाही राजेश 967/फतेहाबाद की रेडिंग पार्टी तैयार करके मय मुर्दई सत्यवान उपरोक्त के बराये करवाने नियुक्त ड्युटी मजिस्ट्रेट व छाया गवाह रवाना उपायुक्त कैम्प ऑफिस भिवानी का होता हूँ। लैपटॉप, प्रिंटर व तफतीशी बैग साथ लिये गये हैं। SD Gourav Sharma उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो (ह), हिसार मण्डल हिसार दिनांक 02.07.2022 AT. 4.00 Pm. अज थाना- हस्ब आमद तहरीर पर मुकदमा उपरोक्त दर्ज रजिस्टर किया जाकर नकल मिशल मुकदमा मय असल तहरीर आरिन्दा EHC नरेन्द्र 427/हांसी के हाथ वर मौका अनुसंधानकर्ता के पास भेजी जा रही है। प्र.सु.रि. की स्पेशल प्रतियां तैयार करके EMAIL ID द्वारा ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब भिवानी व पुलिस अधीक्षक भिवानी की सेवा में भेजी जा रही हैं।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): Gaurav

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): p to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Satyapal

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 303/SPT

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					Is pox pitted: Yes
2	Male					Is pox pitted: Yes
3	Male					Is pox pitted: Yes
4	Male					Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)